न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

ई0सी0 अपील वाद सं0–65/2014–15

बृजनंदन पासवान **बनाम** राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
13-2-18	**आदेश** प्रस्तुत वाद बृजनंदन पासवान, पिता रघुनाथ पासवान, ग्राम–कटेसर, थाना–बिहटा, पटना जन वितरण प्रणाली के विक्रेता, अनुज्ञप्ति सं0 16/07 ने अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, दानापुर के अनुज्ञप्ति रद्द आदेश ज्ञापांक 1427(आ0) दिनांक 20.11.2014 के विरूद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली के धारा–15 के अंतर्गत दिनांक 08.12.2014 को अपील आवेदन दाखिल किया गया। दिनांक 11.12.2014 को वाद प्रतिग्रहण के बिन्दु पर सुनकर, वाद प्रतिग्रहित किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख मांगते हुए, अगली तिथि दिनांक 06.02.2015 निर्धारित कियी गयी। दिनांक 06.02.2015 को निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुए। दिनांक 02.02.2018 को उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलकर्ता का कथन है कि वे एक गरीब अनुसूचित जाति के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं एवं बेरोजगार व्यक्ति हैं। जन वितरण प्रणाली के दुकान के अतिरिक्त जीविका का कोई दूसरा साधन नहीं है। वे अपनी दुकान को समय पर खोलते एवं बंद करते है। जांच की तिथि 02.09.2014 को वे खाद्यान्न का बैंक ड्राफ्ट जमा करने बैंक गये थे। जिसके कारण दुकान बंद थी। उनका कथन है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा एवं सरकारी मूल्य पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न की आपूर्ति करते है। वैसे व्यक्ति शिकायत किये हैं जो उनके उपभोक्ता नहीं है एवं खाद्यान्न की मांग करते है। अपीलकर्ता का कहना है कि उनकी दुकान को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मनेर द्वारा जांच की गयी, जो उनके कार्य क्षेत्र से बाहर के पदाधिकारी है। उनकी दुकान प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बिहटा के कार्य क्षेत्र में है। इस प्रकार प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मनेर के जांच प्रतिवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी, दानापुर द्वारा दुकान रद्द किए जाने का आदेश निर्गत किया जाना गलत है। उसे निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमानुकूल बैंक ड्राफ्ट जमा करना, खाद्यान्न का उठाव करना या किसी	

बिमारी के लिए डाक्टर के पास जाने के पूर्व अपने क्षेत्र के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना देकर, स्वीकृति लेना जरूरी है। साथ हीं इस आशय का उल्लेख सूचना–पट्ट पर अंकित करना भी जरूरी है। बिक्रेता द्वारा इसका पालन नहीं किया गया। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मनेर द्वारा अपीलार्थी के दुकान को अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी दानापुर के आदेश पत्रांक 925(आ0) दिनांक 16.08.2014 के आलोक में किया गया है। इसके लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर सक्षम है।

जांच पदाधिकारी के प्रतिवेदन में निम्न आरोप प्रतिवेदित किए गए :–

1. बिक्री पंजी तथा कैशमेमों संधारित नहीं पाया गया।

2. किरासन तेल निर्धारित मात्रा से कम दिया जाना तथा निर्धारित दर से अधिक रकम लिया जाना।

3. P.H.H खाद्यान्नों को पांच बार उठाव कर, लाभुकों के बीच दो बार आपूर्ति किया जाना।

4. अन्त्योदय खाद्यान्न का कार्ड जमा कराकर, एक बार भी आपूर्ति नहीं किया जाना।

5. दुकान नियमित रूप से नहीं खुलता है।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य कागजातों के परिशीलन से निष्कर्ष निकलता है कि दुकानदार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 20011 एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों का उल्लघंन किया गया है। अपीलार्थी का यह कथन है कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मनेर द्वारा जांच किया जाना गलत है, स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त जाँच अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के निदेश पर किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर बिक्रेता से स्पष्टीकरण प्राप्त कर समीक्षोपरान्त वर्णित आरोपों के आलोक में उनकी अनुज्ञप्ति रद्द की है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर के आदेश ज्ञापांक 1427(सा0) दिनांक 20.11.2014 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए, वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

17/5/18 | 17/5/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना। | समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

D:\D M Court\Oder D M EC.Docx